

390

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(55)नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक: 28 JUN 2016.

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015, मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 180/2015 दिनांक 12.09.2015 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी कर राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 द्वारा भूमि आवंटन के प्रावधान किये गये हैं।

माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग एवं माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में उनके मध्य दिनांक 27.04.2016 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 02.05.2016 में अन्य निर्णयों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्राधिकरण/न्यासों के द्वारा उनके स्तर से 1000 वर्गमीटर तक पेयजल योजनाओं आदि के लिए निःशुल्क भूमि के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दी जावे। इस हेतु शक्तियों का विकेन्दीकरण किया जावे।

अतः उक्त निर्णय की पालना में राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 सहपठित नियम 15-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा शिथिलता प्रदान करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिये अधिकतम 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय को एतद्वारा प्रदान करती है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(219)